

ऑकड़ों के युग में डाटा संरक्षण कानूनों की ज़रूरत

संदर्भ

हाल ही में चर्चा का वषिय बने नजिता के मौलिक अधिकार के वषिय में अभी तक कोई अंतमि नरिणय नहीं लयिा गया है। तथापि इस एक मुद्दे ने “नजिता” शब्द के वषिय में पुनः आत्मचतिन करने एवं इसकी वैधानिक परभिषा को सटीक रूप में व्याख्यायति करने की आवश्यकता की ओर अवश्य ही सबका ध्यान केन्द्रति कयिा है।

यही कारण है कि इस मुद्दे के आलोक में नजिता के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण के वषिय में भी गंभीर चतिन करने की आवश्यकता है।

परमुख बदि

- ध्यातव्य है कि वर्तमान समय को नजिी कंपनयिों के “ऑकड़ों का युग” नाम दयिा गया है। ऐसा कहने का कारण यह है कि सोशल मीडियिा से लेकर ई-मेल सेवाओं और सन्देश भेजने वाली एप्लीकेशनों के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर सूचनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य संपन्न होता है। वस्तुतः यह संचार का एक बड़ा एवं सफल माध्यम साबति होती है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में फेसबुक एवं वाट्सअप से तकरीबन 200 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बहुत ही कम समय में भारत में फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका के फेसबुक उपयोगकर्ताओं से कहीं अधिक बढ़ गई है।
- हालाँकि यह ओर बात है कि इस प्रकार के ऑकड़ों का संचयन करने वाली कंपनयिों इस कार्य के लयिे कोई एक मार्ग न अपना कर असंख्य तरीके अपनाती है। जसि कारण कसिी एक व्यक्ती का इन ऑकड़ों के संबंध में बहुत ही सीमति अधिकार होता है। वस्तुतः इसी कारणवश इन्हें अपनी कसिी नजिी सूचना के लीक होने के संबंध में स्वामित्व का दावा करने का अधिकार तक प्राप्त नहीं होता है।
- इसके साथ-साथ कंपनयिों का अपना डेटा भी साइबर हमलों से सुरक्षति नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ती की नजिता संबंधी सुरक्षा का मुद्दा और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

इस संबंध में यूरोपयिन यूनयिन के नयिम

- व्यक्ती की नजिता की सुरक्षा के संबंध में यूरोपयिन यूनयिन मई 2018 में जी.डी.पी.आर. (General Data Protection Regulation - GDPR) को लागू करने जा रहा है।
- इस अधिनयिम का उद्देश्य संपूर्ण यूरोप में डेटा की गोपनीयता को सुरक्षति बनाए रखना है। इसके अधिनयिम के अंतर्गत यह स्पष्ट कयिा गया है कि यदा कसिी भी स्थिति में अधिनयिम में वर्णति प्रावधानों का उल्लंघन कयिा जाता है तो उक्त कंपनी के वशिव्यापी कारोबार पर 4% तक का शुल्क अधरिपति कर दयिा जाएगा।
- इसके अतरिकित बहुत सी कंपनयिों को यह भी सुनश्चिति करना होगा कि उन कंपनयिों से संबद्ध व्यवसायी भी जी.डी.पी.आर. के नयिमों का सटीकता से अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। ताकि अधिनयिम में वर्णति प्रावधानों के अनुपालन में अधिक से अधिक सतर्कता बरती जा सकें।

भारतीय परदृश्य

- वही दूसरी ओर भारत में बनिा कसिी योग्य नयिम अथवा प्रावधान के एक नजिी अधिकार के रूप में गोपनीयता की पहचान को सुरक्षति बनाए रखना एक असंभव कार्य है।
- संभवतः सरकारी वभिगों और कार्यालयों द्वारा ऑकड़ों का संचयन करते समय इस बात का वशिष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आजकल इंटरनेट और बहुत से खतरनाक डारनेट कनेक्शनों के माध्यम से बहुत से अपराधयिों और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध व्यापार, तस्करी और मनी लॉडरगि तथा वभिन्न आतंकी समूहों में लोगों को भरती करने के लयिे लोगों की नजिी जानकारयिों का गलत तरीके से उपयोग कयिा जा रहा है।
- स्पष्ट रूप से इन सभी समस्याओं से बचने के लयिे हमें ऐसी वनियिमन प्रणाली वकिसति करने की आवश्यकता है जो हमारी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसयिों की प्रभावशीलता को और अधिक असरकारक बनाने में कारगर साबति हो सकें। ऐसी व्यवस्था का नरिमाण करने के पश्चात् ही हम उपरोक्त चुनौतयिों का सामना कर सकते हैं क्योंकि ऐसी चुनौतयिों केवल समाज के लयिे ही नहीं वरन् हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लयिे भी चतिा कारण है।

